राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

एफ.6–ए(02) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक/संस्कृत शिक्षा/RPSC/2022–23/431 दिनांक: 27.07.2023

प्राध्यापक–(संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2022 के तहत् विज्ञापित कुल 05 विषयों यथा–हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण, व्याकरण एवं साहित्य के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच हेतु विचारित सूचियाँ दिनांक 29.05.2023, 30.05.2023, 06.06.2023, 15.06.2023 एवं 19.06.2023 को जारी कर दी गई हैं। उक्त सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउन्सलिंग के माध्यम से की जायेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का अन्तिम परिणाम जारी किया जायेगा। आयोग द्वारा कांउसलिंग दिनांक 05.08.2023 (वार शनिवार) को कुल 01 दिन कांउसलिंग स्थल–राजस्थान लोक सेवा आयोग परिसर अजमेर में आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 28.07.2023 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ नीचे लिखे काउंसलिंग कार्यक्रमानुसार व्यक्तिशः उपस्थित होवें।

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार है:–

क्र.स.	विषय	परिणाम (विचारित–सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर	काउंसलिंग दिनांक	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	हिन्दी	900259 से 957656	05.08.2023	71
2	अंग्रेजी	904393 से 958619	05.08.2023	65
3	सामान्य व्याकरण	904387 से 953484	05.08.2023	65
4	व्याकरण	905090 से 938638	05.08.2023	07
5	साहित्य	901451 से 958441	05.08.2023	50

इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउन्सलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। **काउन्सलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।**

(रामनिवास मेहता)
सचिव